.....(संविदा) के लिए "संविदा सेवा अनुबंध"

यह अनुबंध .....(पदनाम) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.भोपाल, एक कंपनी जो कि कंपनी एक्ट-1956 के अतंर्गत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय निष्ठा परिसर गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) (नियोक्ता) है और जो इस अनुबंध में पक्ष क्रमांक एक है।

एवं

श्री.....आत्मज /आत्मजा श्री.....
उम्र.....वर्ष.....निवासी.....तह
सील ..... जिला ..... (म.प्र.) पद ..... (संविदा)
पक्ष क्रमांक दो के मध्य दिनाँक .....माह..... वर्ष.....को निष्पादित किया गया।

जैसा कि

पक्ष क्रमांक-एक के द्वारा पक्ष क्रमांक -दो को कंपनी के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा "मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2023" के प्रावधानों के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु ..... (संविदा) संविदा आधार पर अनुबंधित करने हुए प्रस्ताव दिया गया है, जो कि पक्ष क्रमांक 02 यथा श्री/श्रीमती/कु.....पद..... (संविदा) द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है।

और जैसा कि

नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पक्ष क्रमांक-दो को प्रस्ताव पत्र अनुसार एक वर्ष की संविदा आधार पर सेवा करना आवश्यक है एवं सेवा न करने तथा अनुबंध समाप्त करने हेतु एक माह की सूचना देना आवश्यक है। पूर्व सूचना नहीं देने की दशा में पक्ष क्रमांक-दो को एक माह का पारिश्रमिक नियोक्ता को भुगतान करने हेतु बाध्य होगा। पूर्व सूचना अवधि में यदि सूचना अवधि एक माह से कम हो तो सूचना अवधि में जितने दिवस कम होगें, उतने दिवस का पारिश्रमिक पक्ष क्रमांक-दो को नियोक्ता को भुगतान करना होगा।

और जैसा कि

नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित सेवा-अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में संविदा आधार पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

और जैसा कि यह अनुबंध साक्षी है कि-

1- **संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के पारिश्रमिक का पुनर्निधारण एवं वार्षिक वृद्धि**:-

"मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2023" के प्रावधानों अनुसार किया जाएगा।

2- **अन्य प्रसुविधाएं: -**

संविदा कार्मिक को निम्नानुसार भत्तों की पात्रता होगी:-

i. **यात्रा भत्ता:** संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को समकक्ष नियमित पद के अधिकारी/ कर्मचारी के अनुरूप लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।

ii. **आवास भत्ताः** संविदा कार्मिकों को आवास भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

iii. संविदा कार्मिक को कंपनी के आवास गृह का आवंटन, आवासों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आवंटन की स्थिति में, संविदा कार्मिक के पारिश्रमिक से नियमानुसार अनुज्ञा शुल्क की कटौती की जायेगी।

iv. संविदा कार्मिक को समकक्ष नियमित पद के अधिकारी/ कर्मचारी के समान मासिक व्यय प्रतिपूर्ति के साथ मोबाईल सिम (सीयूजी) की नियमानुसार पात्रता होगी।

v. कंपनी चिकित्सालय में चिकित्सा परामर्श एवं चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं की पात्रता होगी। कंपनी द्वारा ग्राहय मप्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

vi. कंपनी के कार्य के दौरान संविदा कार्मिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे समकक्ष नियमित अधिकारी/कर्मचारी को देय चिकित्सा सुविधाओं के सदृश्य पात्रता होगी।

vii. संविदा कार्मिक को संविदा पारिश्रमिक व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते /सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

viii. कंपनी के कार्य के निष्पादन के दौरान घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना की स्थिति में संविदा कार्मिक निम्नानुसार आर्थिक सहायता/अनुदान के पात्र होंगे तथा उनके द्वारा प्रत्येक अनुबंधन पर निकटतम वारिस का विवरण दिया जायेगा:

क्र.	विवरण		राशि *
1.	मृत संविदा कार्मिक के परिवार / निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान		रु. 4,00,000/- (रु. चार लाख मात्र)
2.	शारीरिक अंगहानि के लिए आर्थिक सहायता	(अ) जहाँ 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता हो, वहां दी जाने वाली अनुदान राशि।	रु. 59,100/- (रु. उनसठ हजार एक सौ मात्र)
3.		(ब) जहाँ 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो, वहां दी जाने वाली अनुदान राशि।	रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

* यह राशि मध्यप्रदेश शासन राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छः,क्रमांक 4 (यथा संशोधित) के सामान है। राजस्व पुस्तक परिपत्र में परिवर्तन/ संशोधन से इस नियम के अंतर्गत उपरोक्त सहायता/अनुदान राशि तदानुसार परिवर्तित हो जाएगी।

3- **अनुबंध पद्धति:-**

i. आयुः- संविदा सेवा में कार्य करने की अधिकतम आयु 62 वर्ष होगी। उक्त अधिकतम आयु पर संविदा अनुबंध स्वतः ही शून्य हो जाएगा।

ii. संविदा पर अनुबंधित किये जाने वाले अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से कराया जायेगा, तदापि चरित्र सत्यापन का कार्य, अनुबंध के बाद भी कराया जा सकता है, बशर्ते कि अनुबंध के समय संबंधित द्वारा स्व-प्रमाणीकरण दिया जाये कि उसके विरूद्ध किसी माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चल रहा है एवं न ही किसी पुलिस थाने में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों/चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबंध प्राधिकारी ऐसे अनुबंधों को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगा।

4- **संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ अनुबंध निष्पादन:-**

i. संविदा पर कार्य करने हेतु नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुबंधों को एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात समान संविदा शर्तों पर पुन: नये सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. यदि वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो तो अनुबंध का स्वत: ही समान शर्तों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम

प्राधिकारी द्वारा आगामी 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुन: फ्रेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

iii. एक वर्ष की संविदा कालावधि समाप्ति पर, नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के आचरण एवं कार्यों का मूल्यांकन पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुये किया जायेगा ताकि स्वेच्छाचारिता की स्थिति निर्मित न हो। यदि वर्ष के अंत में ग्रेडिंग 'घ' या 3 अंक से कम प्राप्त होते हैं तो ऐसे संविदा कार्मिक का अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। ग्रेडिंग का श्रेणीकरण निम्नानुसार होगा (कार्य मूल्यांकन का प्रारूप परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब के रूप में संलग्न है) :-

ग्रेडिंग	अंक
क+ उत्कृष्ट /असाधारण	9.1 से 10
क बहुत अच्छा	7.1 से 9.0
ख अच्छा (संतोषप्रद)	6.1 से 7.0
ग औसत	3.1 से 6.0
घ सेवा में जारी रखने योग्य नहीं	3.0 अथवा उससे कम

5- **अन्य शर्तें:-**

i. संविदा पर अनुबंधित कार्मिक के लिये आवश्यक होगा कि वह अनुबंध आदेश में उल्लेखित अवधि में अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहे ।

ii. संविदा कर्मी को किसी भी अन्य कंपनी अथवा राज्य शासन के अन्य विभाग, उपक्रम आदि में स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। कंपनी द्वारा संविदा कार्मिक को आवश्यकतानुसार कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा ।

6- **संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति:-**

i. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा

ii. संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष अधिकारी/ कर्मचारियों को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

iii. किसी भी पक्ष द्वारा, किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर, संविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

iv. संविदा पर अनुबंधित कार्मिक संविदा अवधि में किसी अन्य संस्था / व्यक्ति /स्थान को अपनी सेवायें नहीं दे सकेगा।

v. कंपनी आवश्यकतानुसार इन नियमों में परिवर्तन/ संशोधन कर सकेगी।

vi. अन्य सेवा शर्तें यदि अनुबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती है, तो वे भी लागू होंगी।

vii. संविदा के आधार पर अनुबंधित कार्मिक नियमितीकरण/पेंशन इत्यादि के पात्र नहीं होंगे।

viii. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी किसी भी विद्युत कंपनी द्वारा सेवा समाप्त की गई है, तो उसे किसी दूसरी विद्युत कंपनी द्वारा संविदा पर अनुबंधित नहीं किया जायेगा।

7- **संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को उपादान भुगतान:-**

i. संविदा अधिकारी/कर्मचारी की आयु जिस माह में 62 वर्ष हो रही है, उस माह के अंतिम दिवस को उनकी सेवाएं स्वत: समाप्त मानी जाएगी परन्तु यदि किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की जन्म तिथि माह की पहली तारीख है तब उसकी सेवा पूर्व माह के अंतिम तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

ii. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को नियमित शासकीय सेवकों की भांति उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उपादान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

8- **संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ:-**

कंपनी में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को, ई.पी.एफ. अथवा राष्ट्रीय पेंशन योजना के मध्य चयन करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

9- **संविदा अधिकारियों /कर्मचारियों के सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरूद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान:-**

i. प्रत्येक संविदा कार्मिक, उसे आवंटित समस्त प्रकार के कार्यों /योजनाओं (जिसके लिये वह अनुबंधित किया गया है) को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये उत्तरदायी होगा और कार्यों में लापरवाही को कदाचरण माना जाएगा।

ii. संविदा पर अनुबंधित संविदा कार्मिक नियंत्रणकर्ता अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अध्याधीन होगा।

iii. संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जायेगीं।

iv. यदि सक्षम प्राधिकारी को संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जाँच पश्चात इस बात का समाधान हो जाता है कि शिकायत/आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी प्रकरण में जाँच आदेशित करेगा।

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपचारी संविदा अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों/ शिकायतों की जाँच की कार्यवाही अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आरोप/शिकायत प्राप्ति से 2 माह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी।

vi. शिकायत/आरोप की विस्तृत जांच की अवधि में अपचारी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को कंपनी कार्यों से विरत रखा जाएगा एवं इस अवधि में संविदा अधिकारी/कर्मचारी को उसके निर्धारित मासिक पारिश्रमिक का 50% पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा। जांच के पश्चात दोष मुक्त होने की स्थिति में रोके गए संपूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

vii. शिकायत/आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में अपचारी संविदा अधिकारी/कर्मचारी की जांच अवधि के दौरान रोका गया 50% पारिश्रमिक स्थाई रूप से वापस ले लिया जाएगा तथा अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ भी आरोपों की गंभीरता के आधार पर अधिकतम आगामी 2 वित्तीय वर्ष के लिए रोके जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी का समाधान होने पर दण्डस्वरूप संविदा अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

viii. दुराचरण पर अनुशासनात्मक कार्यवाही:-

a. निम्न अपराध **गंभीर दुराचरण** की श्रेणी में माने जायेंगे एवं वर्णित उदाहरण प्रतीकात्मक है:-

(क) माननीय न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी पाया जाना।

(ख) शासकीय सम्पत्ति की चोरी अथवा गबन किया जाना।

(ग) अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना।

(घ) शासकीय कार्य के दौरान अथवा कार्यालय में जुआ खेलना।

(ड.) शासकीय कार्य के दौरान नशा करना।

(च) हड़ताल में भाग लेना।

(छ) शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।

(ज) 10 दिन लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहना।

(झ) हड़ताल में भाग लेने हेतु अन्य कर्मचारियों को उकसाना।

(य) किसी राजनैतिक दल का कार्य करना अथवा राजनीतिक चुनाव में भाग लेना।

(र) कंपनी से संबंधित किसी भी विषय को बिना अनुमति समाचार पत्रों, रेडियो अथवा मीडिया को सूचित करना।

(ल) सरकार अथवा सरकार की नीतियों की आलोचना करना।

(व) कोई भी ऐसा कार्य जो कंपनी के हितों अथवा प्रतिष्ठा को विपरीत रूप से प्रभावित करे, इत्यादि।

(स) कंपनी के व्यवसायिक हितों के प्रतिकूल कार्य करना- उदाहरणार्थ, बिजली चोरी में संलग्नता, इत्यादि।

b. निम्न कृत्य **लघु दुराचरण** की श्रेणी के माने जायेंगें: -

(क) विलम्ब से कार्य पर उपस्थित होना।

(ख) बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहना।

ix. कार्य मूल्यांकन में दी गई ग्रेडिंग से संविदा कार्मिक के असहमत होने की स्थिति में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए उसे एक अवसर उपलब्ध होगा। ऐसा अभ्यावेदन पुनरीक्षणकर्ता / स्वीकृतकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति इसका परीक्षण करेगी और उसकी अनुशंसा उपरांत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसको निराकृत किया जायेगा। प्रबंध संचालक द्वारा अंकित ग्रेडिंग से संबंधित प्रकरण में अभ्यावेदन को कंपनी की मैनेजमेंट समिति द्वारा निराकृत किया जायेगा।

x. इन नियमों के जारी होने की तिथि से पूर्व की तिथियों में यदि संविदा अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई शिकायत की जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो अथवा वर्तमान में प्रचलित/लंबित हो तो ऐसी कार्यवाहियों का निराकरण ऐसी कार्यवाहियों के संस्थित होने के समय लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा।

xi. शिकायत/आरोप की जांच के दौरान अपचारी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

10- **निर्वचन:-**

इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भुत होता है तो वह कंपनी मुख्यालय के न्यायालय भोपाल मध्यप्रदेश को निर्दिष्ट किया जाएगा।

11- .....(संविदा) इस बात से सहमति देता है कि वह पूरी निष्ठा, लगन और उसकी पूर्ण योग्यता सदाचरण एवं ईमानदारी से निर्धारित संविदा सेवाएं करेगा। वह इस बात की भी सहमति देता है कि वह उच्च अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूपेण कर्तव्य पारायणता से पालन करेगा और सीधे या परोक्ष रूप से ऐसी किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा गतिविधि में तब तक लिप्त नहीं होगा जब तक कि वह नियोक्ता को सेवाऐं देने के लिए बाध्य है।.....(संविदा) ऐसे कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे संविदा अवधि के दौरान उसको सौंपी गई अथवा उसके ज्ञान में आई, नियोक्ता के कार्य व्यापार आदि के संबध में गोपनीय जानकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी संस्था को उसके द्वारा ज्ञात हों।

12. .....(संविदा) द्वारा संविदा अवधि हेतु आमंत्रण पत्र/संविदा नियुक्ति पत्र /सेवा - अनुबंध में उल्लेखित प्रमुख शर्तों के पालन न करने की दशा में .....(संविदा) नियोक्ता द्वारा नीतिसंगत /नियमानुसार मांगी राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य होंगे, अन्यथा नियोक्ता .....(संविदा) के विरूद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 (Order 37 of the Code of Civil Procedure) के आधीन उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

13. ..... (संविदा) की संविदा नियुक्ति समाप्त होने पर अथवा उसके द्वारा संविदा अवधि .....छोड़ने पर ऐसा जब भी हो उसे नियोक्ता द्वारा सौंपी गई वस्तुऐं/जानकारी/दस्तावेज अथवा नियोक्ता से संबंधित अन्य वस्तुएं नियोक्ता को सौंपेगा।

14. ऐसे प्रावधान जिनका इस संविदा अनुबंध में उल्लेख नहीं है, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम- 2023 एवं नियोक्ता द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तों के अधीन होंगे।

और यह अनुबंध आज दिनांक ...../...../2024 को निम्न साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया जाता है :-

1. गवाह ..... हस्ताक्षर नाम..... व्यवसाय..... पता.....	नियुक्त संविदा कार्मिक ..... हस्ताक्षर नाम..... पता.....
2. गवाह ..... हस्ताक्षर नाम..... व्यवसाय..... पता.....	
नियुक्त संविदा कार्मिक ..... हस्ताक्षर अभिप्रमाणित (नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील)	

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. नियोक्ता का गवाह ..... हस्ताक्षर नाम..... पद..... पता.....	स्वीकृत म।प्र.म.क्षे.वि. वि.कं.लि.की ओर से ..... हस्ताक्षर नाम..... पद..... पता.....
2. नियोक्ता का गवाह ..... हस्ताक्षर नाम..... पद..... पता.....	